

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वयं की योजनाओं एवं राज्य व खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) की योजनाओं के संचालन हेतु जो मापमान निर्धारित किये गये हैं, उनके कृत्यों के निर्वहन हेतु वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण कर उपलब्धि प्राप्त कर योजनाओं के दायित्वों की प्रतिपूर्ति की जाती है। योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से उल्लिखित किया जा रहा है :-

खादी विकास योजना

उत्तराखण्ड में भेड पालन सीमान्त पर्वतीय जनपदों में एक अच्छा व्यवसाय है। उनके द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन की व्यवसाय को उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन के पूर्व नियोजित नहीं थी, जिससे भेड पालकों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड खादी बोर्ड द्वारा ऊन बैंक की स्थापना की गई है। योजना अन्तर्गत पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थानीय भेडपालकों की ऊन को विभागीय ऊन कय समिति के माध्यम से कय किया जाता है।

कार्यालय/केन्द्रों का विवरण निम्नवत् है-

जनपद	उत्पादन केन्द्र	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)	दूरभाष संख्या
चमोली	गोपेश्वर, भीमतल्ला, देवाल, रडुवा	श्रीनगर	01346-257118
रूद्रप्रयाग	सुमाडी		
पौडी	श्रीनगर,		
हरिद्वार	-	चम्बा	01376-255203
टिहरी	चम्बा		
उत्तरकाशी	भटवाडी, डुण्डा		
देहरादून	भोगपुर		
पिथौरागढ़	धारचूला, मुनस्यारी, थल	अल्मोड़ा	05962-230112
बागेश्वर	बागेश्वर, कपकोट		
अल्मोड़ा	अल्मोड़ा		
उद्यमसिंह नगर	जसपुर, श्रीपुर बिचवा	जसपुर	05947-220012
नैनीताल	-		
चम्पावत्	-		

उत्तराखण्ड ऊन योजना की प्रगति विवरण वर्ष 2023-24

क्र०सं०	केन्द्र का नाम	उत्पादन (धनराशि लाख में)		बिक्री (धनराशि लाख में)		रोजगार संख्या	मजदूरी (धनराशि लाख में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
1	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा	77.64	73.84	100.00	105.06	79	16.99
2	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) श्रीनगर	77.64	39.13	100.00	19.43	40	6.58
3	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) अल्मोड़ा	77.64	29.81	100.00	52.63	74	13.70
4	लोक वस्त्र इकाई जसपुर उ०सिंह नगर	72.00	77.00	72.00	77.78	97	33.46
	योग-	304.92	219.78	372.00	254.60	290	70.73

उत्तराखण्ड ऊन बैंक की स्थापना का विवरण

उत्तराखण्ड ऊन बैंक की स्थापना क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) श्रीनगर में की गयी है जिनके उपकेन्द्र क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा/श्रीनगर/अल्मोडा के अन्तर्गत संचालित है तथा निविदा के माध्यम से ऊन क्रय उपरान्त खादी ग्रामोद्योगी संस्था समितियों एवं व्यक्तिगत उद्यमियों उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की विभागीय इकाईयों एवं कतकर बुनकर कारीगरो की माँग पर आपूर्ति किया जाता है।

वर्ष 2023-24 मे क्रय की गई ऊन का विवरण

क्र०	फर्म का नाम	किस्म	मात्रा कुन्तल	धनराशि लाख
1	मै० दून वैली निटिंग मिल्स पटेलनगर देहरादून	आस्टेलियन मैरिनो, न्यूजीलैण्ड, हर्षिल	135.000	1,74,20,500.00
	योग	—	135.000	1,74,20,500.00

वर्ष 2023-24 मे क्रय की गई रूई का विवरण

क्र०	जनपद का नाम	किस्म	मात्रा कुन्तल	धनराशि लाख
1	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) जसपुर	रूई/पौली	92.65	25,00,000.00
	योग	—	92.65	25,00,000.00

वर्ष 2023-24 में कताई बुनाई प्रशिक्षण

क्र०	जनपद का नाम	कतकर	बुनकर
1	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा	20	10
2	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) श्रीनगर	20	10
3	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) अल्मोडा	20	10
	योग	60	30

ग्रामोद्योग विकास की योजनायें

इन योजनाओं में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं / व्यक्तियों को आर्थिक सहायता / सुविधा प्रदत्त की जाती है :-

- (1)पंजीकृत ग्रामोद्योगी सहकारी समितियां,
- (2)पंजीकृत समाज सेवी संस्थायें
- (3)व्यक्तिगत उद्यमी

ग्रामीण एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरी क्षेत्र की संस्थाओं/ समितियों एवं व्यक्तिगत उद्यमियों को खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं के अर्न्तगत वित्त पोषण की सुविधा इन योजनाओं के अर्न्तगत दी जाती है। इन योजनाओं में नकारात्मक सूची के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रामीण उद्योगो को वित्तपोषित किया जाता है। इन योजनाओं में अस्थाई पूँजी विनियोजन प्रति कारीगर 50 हजार निर्धारित है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनायें

1- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऐसे उद्यमशील युवा उद्यमी, जो राज्य के मूल अथवा स्थाई निवासियों और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करने एवं स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिये अधिकतम रु0 25.00 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत रु0 10.00 लाख तक है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2023-24 की उपलब्धि निम्नानुसार है

क्र० सं०	योजना का नाम	वर्ष	लक्ष्य इकाई सं०	उपलब्धि इकाई सं०
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	2023-24	1150	833

● खादी ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

इस योजनान्तर्गत सहकारी समितियों, संस्था तथा न्यास जो खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड में निबन्धित हों अथवा व्यक्तिगत लाभार्थी को 25 लाख तक की परियोजना ग्रामोद्योग स्थापना हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत ऋण बैंक से स्वीकृत किया जाता है, जिसमें कुल परियोजना का कम से कम 10 प्रतिशत अंश सामान्य जाति के उद्यमी द्वारा तथा 5 प्रतिशत कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति, जनजातियों/ओबीसी/महिला/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग एवं पर्वतीय सीमान्त क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा लगाया जायेगा। परियोजना लागत का शेष धन बैंक ऋण के रूप में स्वीकृत एवं वितरित किया जायेगा।

कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग /भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ भोगियों/संस्थाओं के मामले में तथा पर्वतीय सीमावर्ती और जनजातियों क्षेत्रों के लिए मार्जिन राशि अनुदान परियोजना लागत 35 प्रतिशत की दर से दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मार्जिन मनी राशि परियोजना लागत के अनुरूप बैंक शाखाओं द्वारा ऋण की स्वीकृति के पश्चात जो बैंक ऋण दाताओं को ऋण स्वीकृत करता है उस बैंक शाखा में मार्जिन मनी की उपयुक्त राशि ऋण दाताओं के नाम पर तीन वर्ष के लिए जमा के रूप में रखी जायेगी। यह राशि सर्वप्रथम ऋण के भुगतान की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात बैंकों द्वारा ऋण दाताओं के ऋण खाते में समायोजित कर दी जायेगी। बैंकों द्वारा मार्जिन राशि के समायोजन के प्रपत्र ससमय उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रस्तुत करने के निर्देश हैं।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2023-24 की उपलब्धि निम्नानुसार है

क्र० सं०	योजना का नाम	वर्ष	इकाई लक्ष्य	उपलब्धि इकाई सं०	वित्तपोषण (धन. लाख में)	रोजगार संख्या
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2023-24	382	572	5220.49	2835

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2023-24 तक निम्नलिखित मुख्य कार्य सम्पादित किये गये :-

- **प्रदर्शनियों का आयोजन:-** वर्ष 2023-24 में विगत वर्षों की भौति बोर्ड की योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं वित्तपोषित इकाईयों व उद्यमियों द्वारा उत्पादित एवं निर्मित उत्पादों की बिक्री तथा विपणन की दृष्टि से जनपद स्तर पर निर्धारित मेलों /प्रदर्शनी में बोर्ड के उत्पादों व उद्यमियों को सम्मिलित किया जाता है।
- गौंधी जयन्ती के शुभअवसर पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर 2023-24 में प्रान्तीय रिबेट को 10 प्रतिशत का छूट का लाभ आम जनता के पक्ष में देते हुये खादी संस्थाओ को राज्य सरकार के माध्यम से अनुमन्य करायी गई।
- खादी संस्थाओ के कारीगरों के उत्थान हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित जन श्री बीमा योजना एवं कामगार कोष में खादी कारीगरो को जोडा गया है।